

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 1984/ज्येष्ठ 5, 1906
[No. 177] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 1984/JYAISTHA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिलक्षक

नई दिल्ली, 26 मई, 1984

सं. 163/84-सीमा-शल्क

सा. का. नि. 401(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 179-सीमा-

शुल्क, तारीख 4 सितम्बर, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिमूचना में, शर्त (1) में, सब (24), (25) और (26) में, “और मुख्य विद्युत इंजीनियर” शब्दों के स्थान पर “या मुख्य विद्युत इंजीनियर” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 370/21/84-सी. शु. - 1]

एम. एन. दिव्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1984

No. 163/84-CUSTOMS

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 179-Customs, dated the 4th September, 1980, namely :—

In the said notification, in condition (1), in items (xxiv), (xxv) and (xxvi), for the words “and the Chief Electrical Engineer”, the words “or the Chief Electrical Engineer” shall be substituted.

[F. No. 370/21/84-Cus. I]

M. N. BISWAS, Under Secy.